

क्रमांक - 7352

दिनांक 15-10-58

राजस्थान सरकार



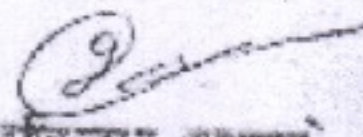
रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 32/अजमेर 198 90-91

यह प्रमाणित किया जाता है कि सौ. कल्लू रत्नलाल संस्था-
अजमेर जिला अजमेर का

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान
अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया
गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज
दिनांक गोवर्ध माह दिसम्बर सन् एक हजार नौ सौ नब्बे को
अजमेर में दिया गया।


रजिस्ट्रार संस्थाएं
रजिस्ट्रार संस्थाएं



राजस्थान मुद्रांकन, उदयपुर।